

कार्मिक (क-4) विभाग

क्रमांक : प. 4(1)कार्मिक/क-4/2018


जयपुर, दिनांक : 05-02-2019

आज्ञा

राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियम, 1954 के नियम-32 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा की सुपरटाईम वेतन श्रृंखला में नियमित रूप से नियुक्त श्री नत्थु राम को राजस्थान प्रशासनिक सेवा की हायर सुपरटाईम वेतन श्रृंखला वर्ष 2018-19 की रिक्तियों में योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है। चयन सूची में इनका नाम श्री मेघराज सिंह रत्नू के नीचे जोड़ा जाता है।


श्री नत्थु राम अपने वर्तमान पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे तथा पदोन्नति पर कार्य-भार ग्रहण की रिपोर्ट इस विभाग को भिजवायेंगे।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,


(आशीष मोदी)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संबंधित विभागाध्यक्ष।
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
8. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
9. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. संबंधित अधिकारीगण।
11. ए.सी.पी. कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
12. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव